(10)

COPY OF TRUST DEED
AND
REGISTRATION CERTIFICATE
FOR
SHRI VAISHNAV
VIDHYAPEETH TRUST

(11)

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री वैष्णव विद्यापीठ, इन्दौर

को सार्वजनिक न्यास के रुप में म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट १९५१ की धारा ६ के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 817 दिनांक 29.07.2003 है।

प्रमाण पत्र आज दिनांक 29 माह जुलाई सन् 2003 को जारी किया गया।

रा. प्र. क्रं. 05/B-113/2002-03

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला इन्दौर म.प्र.

R. [signature]
रजिस्ट्रार,
पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर (म.प्र.)

कुसुमाकर ऑफसेट - 2469854

1. श्री. रामकुमार पिता लक्ष्मीचंद मुछाल (सचिव)
2. श्री. बाबूलाल पिता जयनारायण बाहेती (साक्षी)
3. श्री. पुरुषोत्तम दास पिता प्रहलाद दास पसारी (साक्षी)
4. श्री. रघुनाथ प्रसाद पिता बिहारीलाल नुल्हयान (साक्षी)
5. श्री. गिरधर गोपाल पिता दामोदरदास नागर (साक्षी)

सभी निवासी एम.टी.एच. क्लॉथ मार्केट, इन्दौर

... स्वीकार करते है कि तथाकथित ...
... प्राप्त हो गए ...
मेरी उपस्थिति में चुकाये गए थे और ...
रकम ... बच गई ...
जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी
... दि. 199

1. श्री. अभिजीत पिता शिशिरकुमार चैटर्जी
नि. 6 बी, साईनाथ कॉलोनी, इन्दौर
2. श्री. योगेश पिता धनंजय पिंगले
नि. एफ-13, सुदामा नगर, इन्दौर

... की गई ...
तारीख .... 199 2 4 APR 2002

(12)

126 ... 29

1	2	3	4
		175	

A4
126

500Rs (13)

<u>ट्रस्ट डीड</u>

(Trust Deed)

श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास के सचिव श्री रामकुमार मुछाल पिता श्री लखमीचंद मुछाल [illegible] लिखे ट्रस्ट डीड की घोषणा न्यास की मीटिंग दिनांक 20–10–2001 में हुए निर्णयानुसार करते हैं कि :–

1. "श्री महाराजा तुकोजीराव क्लाथ मार्केट, इन्दौर" के व्यापारियों ने "श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट कमेटी" का निर्माण कर उसका पंजीकरण सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक 720 दिनांक 16–03–1965 किया था तथा उक्त संस्था के सदस्यों ने दिनांक 4–7–1981 को प्रस्ताव पास करके "श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास" (ट्रस्ट) का निर्माण दिनांक 21–9–1981 को "श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास" का पंजीकरण एक संलेख के द्वारा किया गया, जिसका पंजीकरण क्रमांक 217 दिनांक 31–12–1984 है । इस ट्रस्ट के द्वारा सार्वजनिक जनता के परमार्थ के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय का निर्माण करना, स्टेडियम निर्माण करना, विश्रामगृह बनाना, चिकित्सालय निर्माण करना, पुस्तकालय व वाचनालय निर्माण करना, असहाय रोगियों को औषधी वितरण करना, सार्वजनिक उपयोग के लिए पानी के नलकूप लगवाना, प्याऊ बनवाना, छात्रों को पुस्तकें प्रदान करना तथा असहाय परिवारों को अन्न, वस्त्र एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक श्मशान, छात्रों को पठन–पाठन सामग्री वितरण करना, छात्र वृत्ति देना इत्यादि में सहायता करना या तत्संबंधी निर्माण कार्य करना तथा मनुष्य मात्र की सेवा में तमाम पारमार्थिक एवं जनहित कार्यों की प्रवृत्तियों में सहयोग देना । उपचार जीवों की सहायता व सेवा हेतु गौशाला, पिंजरा पोल, पशु चिकित्सालय आदि का निर्माण करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना । इसी तरह ट्रस्टीगण विधान के अन्तर्गत पारमार्थिक और जनहित कार्यों पर भी अपनी सुध–बुध से सहायता और सहयोग देते आ रहे हैं ।

2. उपरोक्त कमेटी ने 1967 में "श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय" (SHRI VAISHNAV COLLEGE OF COMMERCE) की स्थापना की तथा उपरोक्त न्यास ने सन् 1987 में श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान (SHRI VAISHNAV INSTITUTE OF MANAGEMENT) की स्थापना की तथा सन् 1995 में " श्री वैष्णव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (SHRI VAISHNAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE)की स्थापना की वर्तमान में तीनो कालेज श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किये जा रहे है ।

1. श्री रामकुमार पिता लक्ष्मीचंद मुछाल (सचिव)
2. श्री बाबूलाल पिता जयनारायण बाहेती (न्यासी)
3. श्री पुरुषोत्तम दास पिता प्रहलाददास पसारी (न्यासी)
4. श्री रघुनाथ प्रसाद पिता बिहारीलाल तुलस्यान (न्यासी)
5. श्री गिरधर गोपाल पिता दामोदरदास नागर (न्यासी)

सभी निवासी एम.टी.एच. कम्पाउंड, मार्केट, इन्दौर

हम स्वीकार करते हैं कि तथाकथित ट्रस्ट डीड ...

पूरे/आंशिक रु.

प्राप्त हो गए।

रुपया रु.

मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम जो रु. .... बच गई है वो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।

दि. ..../199

1. श्री अभिजीत पिता तिमिरकुमार चैटर्जी नि. 6बी, सांईनाथ कॉलोनी, इन्दौर
2. श्री योगेश पिता धनंजय पिंगले नि. एफ- 13, सुदामा नगर, इन्दौर

... के विषय में की गई ...

तारीख .... 199 2.4 APR 2002

(14)

(2)

3. न्यास द्वारा संचालित तीनो महाविद्यालय यू.जी.सी.एक्ट 1956 की धारा तीन के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय होने की पात्रता रखते है और इस हेतु ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए न्यास की साधारण सभा की बैठक दिनांक 20–10–2001 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि "श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास" के सभी सदस्य यह निर्णय करते हैं कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के अनुरूप डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर के नाम से ट्रस्ट की स्थापना की जावे ।

4. इस घोषणा पत्र के द्वारा घोषित करते हैं कि :–

1. श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर के नाम से यह न्यास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार डिम्ड विश्वविद्यालय का स्टेटस प्राप्त करने के लिए श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर के नाम से ट्रस्ट की स्थापना की जावे ।

2. "श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय", "श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान" तथा " वैष्णव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान" ये महाविद्यालय श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर के घटक होकर इनका संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जावेगा ।

3. श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर के विवरण :–

1. न्यास का नाम : "श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर" रहेगा ।

2. श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर का रजिस्टर्ड कार्यालय, 112, एम.टी. क्लॉथ मार्केट, इन्दौर रहेगा ।

5. उद्देश्य :–

(1) शिक्षा के विभिन्न शाखाओं एवं विषयों में अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(2) शोध कार्य करना, ज्ञान की प्रगति एवं प्रसार हेतु कार्य करना ।

(3) सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न बाह्य परिसर गतिविधियों द्वारा योगदान देना– अनौपचारिक, सामाजिक अध्ययन, एक्सटेंशन प्रोग्राम अन्य मैदानी सर्वेक्षण वगैरह।

(4) शिक्षा के प्रसार हेतु महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्थापना करना ।

(5) मनुष्य मात्र की सेवा के लिए तमाम पारमार्थिक व जनहित कार्य करना और उसमें सहयोग प्रदान करना ।

(6) ऐसे सब कार्य करना जो संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो ।

6. न्यास का कार्यक्षेत्र :–

1. नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, शोध करना, और शिक्षा की उन शाखाओं में प्राध्यापन व प्रशिक्षण प्रदान करना, जिन्हें संस्थान उचित समझता है ।

2. प्राच्य विद्या, प्राच्य दर्शन के पाठ्यक्रम प्रारंभ करना व उनमें शोध केन्द्र स्थापित करना, उपाधियाँ प्रदान करना, विशेषकर वेद, उपनिषद आदि के लिए शोध केन्द्र स्थापित करना ।

3. स्वीकृत पाठ्यक्रमों / शोध कार्यों को विधिपूर्वक पूर्ण करने वाले तथा निर्धारित परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रदान करना ।

1. श्री. रामकुमार पिता लक्ष्मीचंद मुछाल (सचिव)
2. श्री. बाबूलाल पिता जयनारायण बाहेती (न्यासी)
3. श्री. पुरूषोत्तम दास पिता प्रहलाददास पसारी (न्यासी)
4. श्री. रघुनाथ प्रसाद पिता बिहारीलाल तुलस्यान (न्यासी)
5. श्री. गिरधर गोपाल पिता दामोदरदास नागर (न्यासी)

सभी निवासी एम.टी.एच. कम्पाउंड मार्केट, इन्दौर

...स्वीकार करते है कि तथाकथित ट्रस्ट डीड ... मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और ... रकम ... बच गई ... जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी ... दि. ..../19..

1. श्री. अभिजीत पिता तिमिरकुमार चैटर्जी नि. 6 बी, साईनाथ कॉलोनी, इन्दौर
2. श्री. योगेश पिता धनंजय पिंगले नि. एफ- 13, सुदामा नगर, इन्दौर

...विनायक के विषय में की गई ...
तारीख ..../199 24 APR 2002

(15)

4. अतिथि आचार्य नियुक्त करना । (Visitorship) शिक्षावृत्ति प्रदान (Felloship) करना प्रदर्शनी लगाना और पारितोशिक तथा पदक प्रदान करना ।

5. समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना और पाठ्यक्रम योजना में नवीनता लाना तथा उनमें वृद्धि करना ।

6. सामाजिक, आर्थिक, एवं शारीरिक दृष्टि से पिछड़े समाज के वर्गों तक पहुँचकर उन्हें उच्च शिक्षा की परिधि में लाना ।

7. प्रौद्योगिकी, तकनीकी, मेडिकल, प्राकृतिक तथा व्यवहारिक विज्ञान एवं कला, वाणिज्य, प्रबंधन, प्रचार एवं प्रसारण संबंधी कलाओं, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, आदि विषयों के उत्कृष्टता के केन्द्र स्कूल, विभाग एवं संस्थान स्थापित करना, जो कि समाज एक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों ।

8. समय–समय पर अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष क्षेत्रों में शोध एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रारंभ करना ।

9. समाज हित के लिए आवश्यकतानुरूप सामुदायिक महाविद्यालय एवं ग्रामीण संस्थान की स्थापना करना ।

10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भाग लेना तथा उद्योग, वाणिज्य और सेवा क्षेत्र के साथ सार्थक संयोजन स्थापित करना ।

7. उद्देश्यों की व्याख्या :– न्यास की स्थाना जनहित के लिए हुई है अतः इसके जो उपरोक्त उद्देश्य निर्धारित है, उनकी व्याख्या विधि अनुसार जनहित एवं पारमार्थ के उद्देश्यों के आशय तक सीमित हैं ।

8. न्यास का खुलापन :– न्यास सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी वंश, धर्म, पंथ, जाति या वर्ग का हो ।

कोई धार्मिक विश्वास की शर्त या मापदंड कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, सदस्य आदि की नियुक्ति एवं प्रवेश के लिए नहीं रखे जायेंगे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से बनी विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर शुल्क निर्धारित किया जाएगा । इस धारा के विषय और उसकी भावना के विपरीत शर्त वाला कोई लाभ न्यास द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

9. प्रवेश :– सभी डिम्ड विश्वविद्यालयों के समान पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा होगी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित की जाएगी ।

10. न्यास का कोष एवं सम्पत्ति :–

1. इस न्यास का प्रारंभिक कोष "श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास" द्वारा 5,000/– रुपये से न्यासधारियों को प्राप्त हो चुका है ।

2. न्यास द्वारा समय–समय पर चन्दा व दान प्राप्त कर कोष एवं निधि की वृद्धि की जावेगी और उसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए होगा ।

3. न्यास के कोष का विनियोजन ट्रस्टियों द्वारा शासकीय प्रतिभूतियों में व बैंक में ट्रस्ट एवं आयकर विभाग के अनुसार विनियोजन किया जाएगा तथा स्थाई

[illegible]
199... को किया गया
24 APR 2002

[illegible]
199... को किया गया
24 APR 2002

[illegible]
199... को किया गया
24 APR 2002

सम्पत्ति के निर्माण व क्रय करने में जो कि ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए होगी के लिए विनियोजन कर सकेंगे ।

11. ट्रस्ट की सभाएँ :– न्यास की सभा वर्ष में दो बार होना आवश्यक है, आवश्यकतानुसार अधिक बार भी हो सकती है ।

12. कोरम :– प्रत्येक सभा में कम से कम पॉंच न्यासधारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी अर्थात सभा का कोरम 5 न्यासधारियों का रहेगा ।

13. पदाधिकारी :– न्यासधारी, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति जैसा योग्य समझे, करते रहेंगे । पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक वर्ष 3 में हुआ करेगा ।

14. ट्रस्टियों की संख्या :– न्यासधारियों की न्यूनतम संख्या 5 रहेगी एवं अधिकतम 21 तक हो सकेगी ।

(अ) न्यासीगण "श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट कमेटी" के सदस्यों में से 5 न्यूनतम एवं 15 अधिकतम स्थायी रहेगें ।

(ब) अन्य 6 न्यासीयों का नामांकन स्थाई न्यासीगणों द्वारा किया जा सकेगा, जिसे वे आवश्यकतानुसार नामांकन कर सकेंगे, किन्तु यह संख्या 6 से अधिक नहीं रहेगी । यह नामांकित न्यासीगण शिक्षा में विशेष रूचि रखने वाले एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले होंगे । इन 6 न्यासीगणों का कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा ।

15. न्यासधारियों के रिक्त स्थान की पूर्ति :–

1. किसी न्यासधारी के सेवानिवृत्त होने पर या निधन होने पर अथवा लगातार तीन मीटिंग अध्यक्ष अथवा मंत्री की अनुमति के बगैर अनुपस्थित होने पर तभी अथवा उसके कार्य करने में वैधानिक रूप से अयोग्य होने पर उसके रिक्त स्थान की पूर्ति श्री वैष्णव सहायक कपड़ा मार्केट कमेटी के सदस्यों में से ही शेष न्यासधारी करेंगे ।
2. यह निर्वाचन रिक्त स्थान होने के तीन माह के अंदर किया जावेगा । यह न्यासधारियों के बहुमत से होगा ।

16. न्यास सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. न्यास एवं न्याय की सम्पत्ति का समस्त प्रबंध निरीक्षण एवं नियंत्रण न्यास सभा के पास रहेगा एवं उनमें न्यास की सम्पूर्ण सम्पत्ति वैष्ठित है व रहेगी ।
2. न्यास सभा का कार्य न्यास की सभा के माध्यम से तथा आवश्यक प्रस्तावों के द्वारा न्यास उद्देश्यों के अनुसार किया जावेगा ।
3. न्यास की कोई भी चल या अचल सम्पत्ति को खरीदना, प्राप्त करना, बिक्री या हस्तांतर करना, भवन का नवनिर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, मरम्मत या परिवर्तन करना ।
4. अगर न्यासधारीगण किसी समय व नितांत आवश्यक समझे की किसी कार्य पर निर्माण कार्य से न्यास की आय में वृद्धि होगी तो उस दशा में तत्काल न्यास को ऋण लेना आवश्यक हुआ तो वह लिया जा सकेगा, लेकिन शर्त यह रहेगी कि उस ऋण का किस प्रकार से चुकारा किया जा सकेगा, उस बाबद् पूर्ण विचार बहुमत से होने पर ही जैसा ऋण प्राप्त किया जा सकेगा ।

17. बैंकों के खाते :– न्यास के फिक्स डिपाजिट, सैव्हिंग और करंट व अन्य प्रकार के खाते एक अथवा एक से अधिक बैंकों में खोले जा सकेंगे और उन्हें किस रूप में चालू

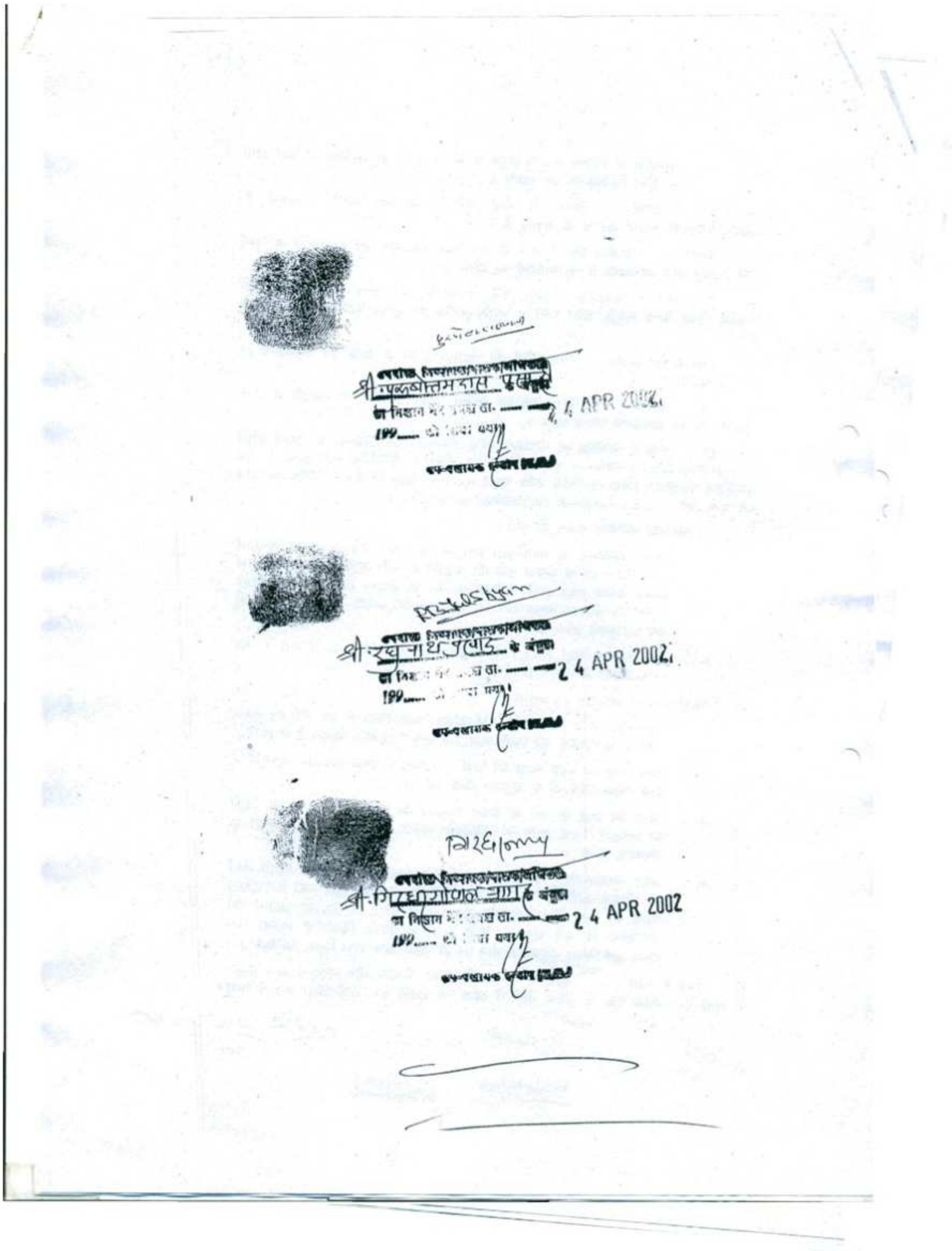
24 APR 2002
24 APR 2002
24 APR 2002

किया जावे और चालू रखा जावे या बदला जावे इस बाबद् टस्ट्रीगण समय–समय पर जैसा योग्य समझेंगे वैसा निर्णय करते रहेंगे । इन समस्त खातों का संचालन न्यासधारीगणों में कोई भी चार न्यासधारीगण से हो सकेगा एवं समस्त बैंकों के कागज पर इन चार में से किन्हीं दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर सम्मिलित रूप से होंगे ।

18. न्यास का वर्ष एवं आडिट :–

1. न्यास का आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष के मार्च माह को समाप्त होगा ।
2. न्यास का लेखा–जोखा नियमित रूप से रखा जावेगा, व उसका हिसाब न्यास सभा द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष ऑडिट कराया जावेगा ।
3. आगामी वर्ष का बजट वर्ष पूरा होने के पहले बनावा कर पास करवा लिया जावेगा । यदि इस प्रकार न हो तो वर्ष प्रारंभ होने के एक माह तक पूर्व बजट के अनुसार कार्य चलाया जा सकेगा ।
4. न्यास की आवश्यक व सहूलियत की दृष्टि से संस्था को रजिस्ट्रेशन विधान के अन्तर्गत उचित समझा जावेगा तो उसका पंजीकरण करवाया जावेगा । इसी प्रकार म.प्र. सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना हुआ, तो करवाया जावेगा ।
5. न्यायालयों में या शासकीय कार्यालयों में किसी भी प्रकार के प्रकरण न्यास ने चलाए या उनके विरूद्ध किसी की ओर चलाए गये तो उनमें हस्तांतरण करने हेतु वकील नियुक्त करने हेतु या प्रतिवाद पर हस्ताक्षर करने हेतु किसी भी न्यासधारी को या अन्य योग्य व्यक्ति को रिकग्नाइज्ड एजेन्ट के तौर पर अधिकृत किया जावेगा । इस प्रकार नियुक्त किया हुआ व्यक्ति उस न्यास द्वारा दिए गए अधिकार द्वारा कार्यवाही करेगा व हस्ताक्षर कर सकेगा ।

19. न्यासधारीगण न्यास का कार्य बिना किसी प्रतिफल पाने के करेंगे ।

20 जिन विषयों का प्रावधान इस लेख में नहीं आया हो व ऐसे विषय न्यास के समक्ष आए तो उनके निराकरण के लिए भारतीय न्यास अधिनियम के नियम लागू होंगे।

21. किसी भी समय समस्त न्यासधारीगण अपने राय से यह निष्कर्ष पाये की न्यास का कार्य सूचारू रूप से नहीं चल रहा है या आर्थिक कठिनाई होने से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करना संभव नहीं है तो उस दशा में अन्य न्यास या संस्था से सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा या अगर किसी समय न्यासधारीगण को यह अनुभव होने के न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव नहीं हो तो ऐसी दशा में समस्त न्यासधारी 3/4 मत से न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकेंगे, ऐसा करने में यदि 3/4 मत नहीं आया तो न्यास के मूल प्रवर्तक "श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास" की साधारण सभा से उस बाबद् दिग्दर्शन व परामर्श प्राप्त किया जाएगा ओर उस् दिग्दर्शन् के अनुसार जो परिवर्तन या परिवर्धन हुआ तो वह इस न्यास का अंग माना जावेगा ।

22. न्यास का निर्णय :– न्यास का प्रत्येक कार्य जहाँ तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जावे और किसी कारणवश यदि विचार विभिन्नता हो तो बहुमत से निर्णय कर लिया जावे । बराबर के वोट होने पर अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा ।

23. न्यास का कार्य सम्पूर्ण न्यासधारीगण पूर्ण सतर्कता, निष्कपट व सद्भावना से अपनी जवाबदारी समझकर करेगे, किन्तु किसी कारणवश न्यास की या न्यास की सम्पत्ति को काई क्षति हुई या क्षति उठाना पड़ी तो किसी भी न्यासधारी की उस क्षति के लिए व्यक्तिगत कोई जवाबदारी नहीं रहेगी ।

(18)

{6}

24. न्यास की आय एवं सम्पत्ति का उपयोग केवल उद्देश्यों के लिए :- इस ट्रस्ट डीड में जो न्यास के उद्देश्य बताए गए हैं, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास की आय व सम्पत्ति का उपयोग किया जा सकेगा ।

25. न्यास की आय व सम्पत्ति का भुगतान और हस्तांतरण आर्थिक लाभ के लिए न करना :- ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी समय न्यास के सदस्य हैं या रह चुके हैं, उन्हें न्यास की आय व सम्पत्ति का कोई सा भी भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न भुगतान किया जा सकता है न हस्तांतरण किया जा सकता है, किन्तु उपरोक्त प्रावधान व्यक्तियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक देने या यात्रा भत्ता देने व दैनिक भत्ते या इसी प्रकार के भत्ते और भुगतान पर लागू नहीं होंगे ।

26. न्यास के न्यासीगण :- न्यास के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित न्यासीगण होंगे :-

क्रमांक	नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	श्री भानूलाल बाहेती पिता जयनारायण बाहेती	एम.टी.क्लाथ मार्केट, इंदौर	व्यवसाय	
2.	श्री हरीकिशन मुछाल पिता लखमीचंद मुछाल	एम.टी.क्लाथ मार्केट, इंदौर	व्यवसाय	
3.	श्री पुरुषोत्तमदास पसारी पिता प्रहलाददास पसारी	एम.टी.क्लाथ मार्केट, इंदौर	व्यवसाय	
4.	श्री रघुनाथप्रसाद तुलस्यान पिता बिहारीलाल तुलस्यान	एम.टी.क्लाथ मार्केट, इंदौर	व्यवसाय	
5.	श्री गिरधरगोपाल नागर पिता दामोदरदास नागर	एम.टी.क्लाथ मार्केट, इंदौर	व्यवसाय	

27. जॉच एवं निरीक्षण :- केन्द्रीय सरकार को न्यास के निरीक्षण का अधिकार रहेगा। वह इसके भवन, प्रयोगशाला, परीक्षा, शिक्षण व अन्य संबंधित कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा तथा न्यास को सम्बन्धित कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो तो जॉच समिति का गठन कर सकेंगे ।

28. इस डीड और इसके परिवर्तन म.प्र. सार्वजनिक न्यास विधान लागू होगा ।

29. न्यासीगण द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय की पात्रता प्राप्त होने पर नियमावली का आधार बनाकर पारित की जावेगी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के आधार पर होगी ।

30. इस नवगठित "श्री वैष्णव विद्यापीठ इन्दौर" नामक ट्रस्ट के पास वर्तमान में कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं है ।

यह न्यास का घोषणा पत्र हम नीचे सही करने वाले श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास के बहुमत द्वारा दिए गये अधिकारों के अनुसार पारमार्थिक हितों को दृष्टि मे रखकर व न्यास के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उक्त न्यास की घोषणा करते है ।

इन्दौर, दिनांक 24 अप्रैल, 2002

हस्ताक्षर न्यास सम्पादक
श्री रामकुमार मुछाल

साक्षी :-

(1) श्री. अभिजीत पिता श्री तिमिरकुमार चटर्जी
6-बी, साईनाथ कॉलोनी, इन्दौर

(2) श्री योगेश पिता श्री धनंजय पिंगले,
एफ-13, सुदामा नगर, इंदौर

उपरोक्त न्यास के सम्पूर्ण उद्देश्यों को समझकर इस न्यास ने दर्शाये गये न्यास के हम सदस्यगण अपनी स्वेच्छा से इस न्यास के न्यासधारी बनना स्वीकार करके अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर नीचे करते हैं :–

साक्षी :–

(1) श्री. अभिजीत पिता श्री तिमिरकुमार चटर्जी
6–बी, सांईनाथ कॉलोनी, इन्दौर

(2) श्री योगेश पिता श्री धनंजय पिंगले,
एफ–13, सुदामा नगर, इंदौर

हस्ताक्षर न्यासधारीगण

1. श्री बाबूलाल बाहेती
2. श्री हरीकिशन मुछाल
3. श्री पुरूषोत्तमदास पसारी
4. श्री रघुनाथप्रसाद तुलस्यान
5. श्री गिरधरगोपाल नागर

17.5.2002

150

25

175

17.5.2002